

संदर्भ/Ref. No.: ZO/CSD/BAL/2025-26/100 दिनांक/Date: 03.07.2025

संपन्न आर्किटेक्ट / सलाहकारों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना NOTICE INVITING SEALED OFFERS FROM EMPANELLED ARCHITECT / CONSULTANTS

FOR

राउरकेला स्थित बैंक भवन (शाखा एवं स्टाफ क्वार्टर) में ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु आर्किटेक्ट/सलाहकार की नियुक्ति

APPOINTMENT OF ARCHITECT / CONSULTANT FOR PROPOSED SUPPLY INSTALLATION

TESTING AND COMMISSIONING GRID TIED ROOF TOP SOLAR SYSTEM AT BANK'S

BUILDING IN ROURKELA (BRANCH & STAFF QUARTERS)

हम राउरकेला स्थित बैंक भवन (शाखा एवं स्टाफ क्वार्टर) में ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य कराने का प्रस्ताव रखते हैं। इस हेतु हम आर्किटेक्ट/सलाहकार की नियुक्ति करना चाहते हैं तथा बैंक में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट/सलाहकारों से सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं।निविदा में भाग लेने के लिए इच्छुक आर्किटेक्ट/सलाहकार के पास रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग जैसे समान कार्यों का पूर्व अनुभव होना अनिवार्य है। यदि यह अनुभव नहीं है, तो उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त कार्यों के निष्पादन से संबंधित दस्तावेज़ों को तकनीकी निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

- 1. We intend to INSTALLATION TESTING AND COMMISSIONING GRID TIED ROOF TOP SOLAR SYSTEM AT BANK'S BUILDING IN ROURKELA (BRANCH & STAFF QUARTERS). Accordingly, we intend to appoint Architect / Consultant and invite sealed offers from Architect / Consultants empanelled with our Bank. The Architect / Consultant must have prior experience of having executed similar work of INSTALLATION TESTING AND COMMISSIONING OF ROOF TOP SOLAR SYSTEM to make them eligible for bidding failing which their bid will not be considered. (Documents confirming execution of above mentioned work must be furnished with technical bid failing which their bid will be rejected).
- 2. इच्छुक आवेदक अपने सबसे प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक शुल्क को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट—A) में भरकर, सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉरपोरेट सेवा विभाग, सरलाकानी चौक, संबलपुर के नाम संबोधित कर भेज सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "राउरकेला (शाखा एवं स्टाफ कार्टर) स्थित बैंक भवन में प्रस्तावित ग्रिंड से जुड़ी रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु आर्किटेक्ट/सलाहकार की नियुक्ति हेतु सीलबंद निवदा" अंकित होना चाहिए। निविदाएं 25.07.2025 को अपराह्न 4:00 बजे तक जमा करनी होंगी तथा उसी दिन अपराह्न 4:30 बजे हमारे कार्यालय में उपस्थित निवदाकर्ताओं की उपस्थित में खोली जाएंगी। यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि को निवदाएं नहीं खोली जा सकीं, तो सभी निवदाकर्ताओं को नई तिथि की सूचना दी जाएगी।

- 2. Interested applicants may submit their most competitive professional fees in the format (Annexure-A) in a sealed cover, addressed to The Zonal Manager, Bank of India, Zonal Office, Sambalpur, Corporate Services Department, SARLAKANI CHOWK, SAMBALPUR, super scribed "Sealed quotation for appointment of Architect / Consultants for proposed **INSTALLATION TESTING AND COMMISSIONING GRID TIED ROOF TOP SOLAR SYSTEM AT BANK'S BUILDING IN ROURKELA (BRANCH & STAFF QUARTERS)**" latest by **4.00 P.M. on 25.07.2025**. Sealed quotations will be opened at our Office at **4.30 P.M. on 25.07.2025** in presence of offerors who desire to be present. If the bids were not on aforesaid date due to any reasons, bidders will be informed about schedule date of opening.
- 3. चयनित आर्किटेक्ट/सलाहकार को बैंक के मानक प्रारूप (परिशिष्ट—B) के अनुसार स्टाम्प पेपर पर एक औपचारिक अनुबंध करना होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/सलाहकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण, शुल्क के भुगतान की विभिन्न चरणों में प्रक्रिया सहित अन्य शर्तें सम्मिलित होंगी।

 The selected Architect / Consultant will have to enter into a formal Agreement on stamp paper as per Bank's standard format (Annexure-B) which inter-alia also give the details of services to be rendered by the Architect / Consultant/ Consultant, stages for disbursement of fees etc.
- 4. बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। Bank reserves the right to reject any or all the offers without assigning any reasons thereof.

उप आंचलिक प्रबंधक DY. ZONAL MANAGER संबलपुर अंचल/ SAMBALPUR ZONE

<u>अनुलग्नक/ ANNEXURE – A</u>

(वित्तीय प्रस्ताव – द्वितीय लिफाफे में रखा जाए/FINANCIAL BID TO BE PLACED IN 2nd ENVELOPE)

प्रति/To,	
आंचलिक प्रबंधक/The Zonal Manager, बैंक ऑफ इंडिया/Bank of India,	
संबलपुर अंचल/Sambalpur Zone.	दिनांक/Date
महोदय/Dear Sir	

राउरकेला स्थित बैंक भवन (शाखा एवं स्टाफ क्वार्टर) में प्रस्तावित ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग हेतु आर्किटेक्ट/सलाहकार की नियुक्ति /

APPOINTMENT OF ARCHITECT / CONSULTANT FOR PROPOSED SUPPLY INSTALLATION

TESTING AND COMMISSIONING GRID TIED ROOF TOP SOLAR SYSTEM AT BANK'S

BUILDING IN ROURKELA (BRANCH & STAFF QUARTERS)

We refer to your				03.07.2025 का उपर्युक्त विषय मे	
के अतिरिक्त जीएसटी	पढ़ लिया है और उन्हें पूरी) (शब्दों में की पेशकश करते हैं, जिसव न्य शुल्क का भुगतान नहीं वि	i प्रतिशतअनुम् ग भुगतान शी	गेदित अनुम् र्षक कार्य व	हम अपने पेशेवर शुल्क के रूप ग़नित लागत या वास्तविक लागत (के लिए वास्तुकला सेवाएँ देने के लि	में % (, जो भी कम हो, ए किया जाएगा।
We have read the % (cost whichever is I	requirement and have	e understoo ercent in v rendering	od them vords) of	fully. We quote our Profess the approved estimated c tectural services for the cap	ost or actual
लागत में शामिल नहीं वि We understand th	केया जाएगा। nat the cost of items,	if any, to	be direc	क्रय की जाने वाली वस्तुओं की लाग ctly purchased by the Banl ating professional fee.	
धन्यवाद/Thanking	you,				

आपका भवदीय/Yours faithfully,

(आर्किटेक्ट / सलाहकार) मोहर सहित ARCHITECT / CONSULTANT) WITH SEAL आर्किटेक्ट/सलाहकार के कर्तव्य/कार्य एवं भुगतान की अवस्थाएं(यह विवरण संकेतात्मक हैं, संपूर्ण) नहीं हैं, तथा इन्हें रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना कार्य के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जो लागू न हो, उसे काट दें।)

<u>DUTIES / FUNCTIONS OF ARCHITECT / CONSULTANT AND STAGES OF PAYMENT(Details</u> mentioned are indicative not exhaustive and shall be read in relation with the work of <u>installation of roof top solar system, Strike out whichever is not applicable)</u>

आर्किटेक्ट पर ग्रिड टाइड (शाखा एवं स्टाफ क्वार्टर) सलाहकार निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करेगा जो बैंक के भवन में राउरकेला / रूफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग से संबंधित हैं।

The Architect / Consultant shall render the following services in connection with <u>INSTALLATION</u> <u>TESTING AND COMMISSIONING GRID TIED ROOF TOP SOLAR SYSTEM AT BANK'S BUILDING</u> IN ROURKELA (BRANCH & STAFF QUARTERS).

a) नियोक्ता से निर्देश प्राप्त करना, आवश्यकताओं का अध्ययन करना, स्थल का निरीक्षण करना, स्थानीय नियमों एवं बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रारंभिक रेखाचित्र (आवश्यक संशोधन सिहत) तैयार करना (स्केच डिज़ाइन), कार्य की अनुमानित लागत का निर्धारण करना जिसमें प्रमुख मदों हेतु दर विश्लेषण सम्मिलित हो। प्रस्ताव सरल, कार्यात्मक एवं सौंदर्यपूर्ण हों तथा अनावश्यक खर्च से बचा जाए। इसके पश्चात नियोक्ता से चर्चा कर अनुमानों को अंतिम रूप देना एवं निर्णय हेतु योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

Taking the employer's instructions, studying the requirements, visiting the site, preparing sketch designs which shall be in accordance with local governing codes / standards, regulations, etc. and also in line with the Bank's Guidelines (including carrying out necessary revisions till the sketch designs are finally approved by the employer), preparing cost estimates for work based on the prevailing market rates substantiated by rate analysis for major/unusual items. (Proposals for work shall be simple but elegant, consistent with functional and aesthetic requirements and shall avoid lavish and ostentatious expenditure), discussing with the employer for finalization of estimates and preparing report on the scheme to enable the employer to take a final decision on the sketch designs and estimates.

- b) बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य का संयुक्त मापन करना।-Carrying out joint measurement of work as per our Bank guidelines.
- c) प्रस्तावित कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए एक उचित कार्यक्रम चार्ट प्रस्तुत किया जाए। कार्यक्रम में आर्किटेक्टसलाहकारों द्वारा बैंक के साथ समन्वय में किए जाने वाले विभिन्न सेवाओं के चरण भी / शामिल होने चाहिए।

Submitting a proper programme chart incorporating all the activities required for the completion of the proposed work well in time. The program should also include various stages of services to be done by the Architect / Consultants in co-ordination with the Bank.

d) नगर निगम एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को आवश्यक रेखाचित्र प्रस्तुत करना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ से स्वीकृति प्राप्त करना।

Submitting required drawings to the Municipality and other local authorities and obtaining their approval wherever required.

e) विस्तृत कार्यकारी चित्रण, संरचनात्मक गणनाएँ और संरचनात्मक चित्रण, सिविल, इलेक्ट्रिकल और संबद्ध कार्यों के लिए क्रमबद्ध चित्रण आदि तैयार करना और विस्तृत अनुमान तैयार करना तथा उन सभी अन्य विवरणों को तैयार (सभी पहलुओं में पूर्ण) करना जो मात्रा के बिल की तैयारी के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

Preparing detailed working drawings, structural calculations and structural drawings, layout drawings for Civil, Electrical and allied works (Complete in all respects) etc. and preparing detailed estimates and all such other particulars as may be necessary for preparation of bill of quantities.

f) विभिन्न कार्यों एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विस्तृत निविदा दस्तावेज तैयार करना, जिसमें अनुबंध लेख, विशेष शर्तें, अनुबंध की सामान्य शर्तें, विशिष्टताएँ, मात्रा पत्र)BOQ), बाजार दरों पर आधारित दरों का विस्तृत विश्लेषण, समय एवं प्रगति चार्ट आदि सिम्मिलित हों।

Preparing detailed tender documents for various trades and specialist services, etc. complete with articles of agreement, special conditions, conditions of contract, specifications, bill of quantities including detailed analysis of rates based on market rates, time and progress charts, etc.

g) सभी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करना तथा उस पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें असामान्य रूप से अधिक या कम दरों वाली मदों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सिफारिशें दी जाएं। सभी कार्यों हेतु अनुबंध दस्तावेज तैयार करना एवं संबंधित ठेकेदारों से उनका निष्पादन करवाना। अस्वीकार कहने के स्थान पर/सभी वाणिज्यिक शर्तों का मूल्यांकन मात्र स्वीकार) वित्तीय दृष्टि से किया जाना चाहिए। यदि कोई शर्त मूल्यांकन योग्य नहीं हो, तो सभी निविदाकर्ताओं को वार्ता हेतु आमंत्रित कर, नियोक्ता को स्वीकार्य शर्तों के आधार पर अंतिम निविदा प्रस्तुत करने का विकल्प अपनाया जा सकता है।(

Inviting tenders for all trades and submitting assessment reports thereon, together with recommendations specifying abnormally high and low rated items. Preparing contract documents for all trades and getting them executed by the concerned contractors. (All commercial conditions shall be evaluated in financial terms instead of merely saying whether a condition may be accepted or not. When conditions are not susceptible to evaluation, the alternative procedure of calling all the tenderers for negotiation and asking them to submit a final bid based on the terms and conditions acceptable to the Employer may be adopted.)

h) नियोक्ता, ठेकेदार तथा साइट स्टाफ के उपयोग हेतु सभी कार्यों के अनुबंध दस्तावेज़ों की चार प्रतियाँ तैयार करना, जिनमें सभी रेखाचित्र, विनिर्देश तथा उनके विवरण सम्मिलित हों।

Preparing for the use of the employer, the contractor and site staff, 4 copies of contract documents for all trades including all drawings, specifications and their particulars.

- i) कार्य के सुचारु निष्पादन हेतु आवश्यक अन्य सभी विवरणों एवं रेखाचित्रों की तैयारी करना। Preparing such further details and drawings as are necessary for proper execution of the work.
- j) समयसमय पर नियोजित सामान्य एवं विशेषज्ञ ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे समस्त कार्यों की निगरानी एवं उनके उचित -निष्पादन की पूर्ण जिम्मेदारी ग्रहण करना, साथ ही निष्पादन के दौरान कार्य की मात्राओं पर नियंत्रण बनाए रखना ताकि किसी भी प्रकार का विचलन, यदि हो, तो वह न्यूनतम स्तर पर सीमित रहे।

Assuming full responsibility for supervision and proper execution of all work by general and Specialist contractors who are engaged from time to time including control over quantities during the execution to restrict variation, if any, to the minimum.

k) आर्किटेक्ट (यदि कोई हो) सलाहकार बिना नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए एवं ठेकेदार पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव / का मूल्यांकन किए बिना कार्य में किसी भी प्रकार केपरिवर्तन अथवा प्रतिस्थापन को स्वीकृति नहीं देंगे।

Architect / Consultant shall not authorize any deviations or substitutions in the work without working out the financial implication, if any, to the Contractor and without obtaining prior approval of the employer.

l) नियुक्ति के लिए नियोक्ता एक पूर्णकालिक सलाहकार को निर्माण / अस्थाई स्थल अभियंता /, आंतरिक सज्जा का पर्यवेक्षण और आवश्यकतानुसार स्थल अभियंता सलाहकार को मार्गदर्शन देने के लिए नियुक्त करेगा। /

The employer in appointing a full time / temporary site Engineer / Consultant for supervision of construction, interior furnishing and guiding the site Engineer / Consultant as required.

m) स्थल पर किए गए कार्यों का मापन जाँचना, ठेकेदार के बिलों की जांच करना, भुगतान हेतु समय-समय पर प्रमाण-पत्र जारी करना तथा खातों की पासिंग एवं प्रमाणीकरण करना ताकि नियोक्ता द्वारा ठेकेदारों को भुगतान एवं आपसी समायोजन सुचारु रूप से किया जा सके। आर्किटेक्ट/सलाहकार उनके द्वारा प्रमाणित सभी मापनों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। इस हेतु अनुशंसित प्रमाणन प्रारूप निम्नलिखित है:

Checking measurements of work at site. Checking Contractor's bills, issuing periodical certificates for payments, and passing and certifying accounts, so as to enable the employer to make payments to the Contractors and adjustments of all accounts between the Contractors and the employer. Architect / Consultant shall assume full responsibility for all measurements certified by them. A recommended certification proforma for the purpose is given below:

n) जहाँ आवश्यक हो वहाँ पूर्ण कार्य हेतु नगरपालिका अथवा अन्य प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करना एवं नियोक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि अथवा अन्य किसी भी प्रकार की राशि की वापसी में सहयोग करना।

Obtaining approval of Municipality and such other authority for the work completed wherever required and assisting in obtaining refund of deposit, if any, made by the employer to the Municipality or any such other authority.

o) कार्य पूर्ण होने पर परियोजना पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना तथा उसी की दो प्रतियाँ और संबंधित प्रमुख रेखाचित्र नियोक्ता के अभिलेख हेतु प्रस्तुत करना।

Preparing, on completion of the work, a brief report on the project and submitting 2 copies of the same along with important drawings of the project for the records of the employer.

p) कार्य के आरंभ से लेकर नियोक्ता को सुपुर्द करने तक, सुरक्षा एवं संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए कार्य की सफलता पूर्वक पूर्णता हेतु आर्किटेक्टसलाहकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।/

The Architect / Consultant shall be wholly and solely responsible for the successful completion of the work in all respects consistent with safety and structural stability from the inception upto the handing over for occupation to the employer.

q) आर्किटेक्टसलाहकार/, ठेकेदारों एवं नियोक्ता के बीच उत्पन्न किसी भी मध्यस्थता प्रक्रिया में बैंक की सहायता करेंगे तथा ऐसे सभी मामलों में नियोक्ता का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

The Architect / Consultant shall assist the Bank in all arbitration proceedings between the contractors and the employer and also defend the Employer in such proceedings.

r) कार्य से संबंधित अन्य सभी सामान्य सेवाएं जो प्रायः आर्किटेक्ट/सलाहकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, भले ही वे उपर्युक्त में उल्लिखित न हों।

Any other services connected with the work usually and normally rendered by the Architect / Consultant, but not referred to herein above.

भुगतान की अवस्थाएं

STAGES OF PAYMENT

आर्किटेक्ट / सलाहकार को उनकी सेवाओं के लिए निम्नलिखित चरणों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।आपूर्तिकर्ताओं को आर्किटेक्ट / सलाहकार के शुल्क के भुगतान हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

The Architect / Consultant shall be paid the fee as per the stages mentioned hereunder. Suppliers will not be considered for payment of Architect / Consultant's fee.

	प्रारंभिक रेखाचित्र एवं अनुमानित लागत की स्वीकृति के पश्चात: / After approval of sketch designs and Preliminary Cost estimates.	स्वीकृत अनुमानित लागत के आधार पर कुल शुल्क का 10% भुगतान।10% of the fee based on agreed estimated cost .
(b)	मात्रा पत्र (Priced BOQ) तथा दर विश्लेषण सहित विस्तृत आवश्यक रेखाचित्रों की तैयारी तथा जहाँ लागू हो, वहाँ नगर निगम एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करना, एवं मूल्य निर्धारण सहित अनुमान प्रस्तुत करना। Preparation of necessary drawings and obtaining Sanction of the Municipal and other concerned authorities wherever applicable and submission of priced schedule of quantities and detailed estimates with rate analysis.	स्वीकृत अनुमानित लागत के आधार पर कुल शुल्क का 25% (पूर्व में किए गए भुगतान को घटाकर)। 25% of the fee based on agreed estimated cost, less payments made earlier.
(c)	विस्तृत निविदा दस्तावेज़ों, कार्य निष्पादन हेतु विस्तृत रेखाचित्रों की तैयारी, निविदाओं का आमंत्रण, तथा प्राप्त निविदाओं पर रिपोर्टसिफारिश प्रस्तुत / करना ताकि कार्यादेश जारी किया जा सके। Preparation of detailed tender documents, detailed working drawings, inviting tenders and submitting report/ recommendations on the tenders received for award of the job.	निविदा राशि के आधार पर कुल शुल्क का 50% (पूर्व में किए गए भुगतान को घटाकर।(50% of the fee based on the tender amount, less payments made earlier.
(d)	कार्य की निगरानी करना, ठेकेदारों के बिलों का प्रमाणीकरण करना, कार्य की पूर्णता तक अंतिम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना तथा जहाँ लागू हो, वहाँ नगर निगम एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना। Supervising the work, certifying Contractor's bills till the work are completed and submission of final certificate and obtaining completion certificates from Municipal and any other authorities wherever applicable.	कार्य निष्पादन के मूल्य के आधार पर कुल शुल्क का 95% (पूर्व में किए गए भुगतान को घटाकर।(95% of the fee based on the value of work executed; less payments made earlier.
(e)	निर्धारित अनुसार) "यथास्थिति"As-made) महत्वपूर्ण रेखाचित्रों की नियोक्ता को प्रस्तुति। Submission of "as made" important drawings to the employer as specified.	कार्य के मूल्य के आधार पर कुल शुल्क का 100% (पूर्व में किए गए भुगतान को घटाकर)। 100% of the fees based on the value of work, less payments made earlier.

मध्यस्थता /Arbitration

यदि इस अनुबंध की व्याख्या, इसमें निहित किसी बात अथवा इसके अंतर्गत उत्पन्न किसी विषय या पक्षों के अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के संबंध में किसी भी समय पक्षों के बीच कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होता है सिवाय उन) मामलों के जिनकेसंबंध में यहां स्पष्ट किया गया कि नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तो ऐसे सभी मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा और उसका अंतिम निर्णय प्राप्त करने हेतु कम से कम 30 दिनों का लिखित नोटिस जिसे आगे) "मध्यस्थता हेतु सूचना" कहा गया है) एकमात्र पंच (Sole Arbitrator) की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें विवादित विषयों का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।

If any dispute, differences or question shall at any times arise between the parties as to the construction of this Agreement or concerning anything herein contained or arising out of the Agreement or as to the rights, liabilities and duties of the parties hereunder except in respect of matters for which it is provided hereunder that the decision of the Employer is final and binding, the same shall be referred to arbitration and final decision after giving at least 30 days' notice in writing to the other (hereinafter referred to as the "Notice for Arbitration" clearly setting out the items of dispute) to a sole arbitrator who shall be appointed as hereinafter provided. For this purpose of appointing the sole arbitrator referred to above, the Employer shall send to the Architect / Consultants within thirty days of the "Notice of Arbitration" a panel of three names of persons who shall be presently unconnected with the organization of the Employer or the Architect / Consultants.

इस एकमात्र पंच की नियुक्ति हेतु, नियोक्ता "मध्यस्थता हेतु सूचना" प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आर्किटेक्ट / सलाहकार को तीन व्यक्तियों की एक सूची भेजेगा, जो कि नियोक्ता अथवा आर्किटेक्ट / सलाहकार के संगठन से वर्तमान में संबद्ध न हों।आर्किटेक्ट / सलाहकार उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची में से किसी एक व्यक्ति का चयन कर 15 दिनों के भीतर उसका नाम नियोक्ता को सूचित करेगा। तत्पश्चात नियोक्ता बिना किसी विलंब के उस व्यक्ति को एकमात्र पंच के रूप में नियुक्त करेगा। यदि आर्किटेक्ट / सलाहकार निर्धारित अविध में चयन कर सूचित करने में विफल रहते हैं, तो नियोक्ता उक्त सूची में से किसी एक व्यक्ति को चयन कर एकमात्र पंच नियुक्त करेगा।

The Architect / Consultants shall, on receipt of the names as aforesaid, select anyone of the persons so named to be appointed as the Sole Arbitrator and communicate his name to the Employer within 15 days of receipt of the names. The Employer shall thereupon without any delay appoint the said person as the Sole Arbitrator. If the Architect / Consultants fail to communicate such selection as provided above within the period specified, the Employer shall make the selection and appoint the sole arbitrator from the panel notified to the Architect / Consultants.

यदि नियोक्ता उपरोक्तानुसार निर्धारित अविध के भीतर आर्किटेक्ट सलाहकार को तीन नामों की सूची /प्रेषित करने में विफल रहता है, तो आर्किटेक्ट सलाहकार / ऐसे तीन व्यक्तियों की सूची नियोक्ता को भेजेंगे जो दोनों पक्षों से असंबद्ध होंगे। नियोक्ता, उक्त सूची प्राप्त होने पर, उनमें से किसी एक व्यक्ति का चयन कर उसे एकमात्र पंच)Sole Arbitrator) नियुक्त करेगा। यदि नियोक्ता, सूची प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर चयन कर नियुक्ति नहीं करता तथा आर्किटेक्ट सलाहकार को सूचित नहीं / करता, तो ऐसी स्थिति में आर्किटेक्ट सलाहकार को सूचीबद्ध व्यक्तियों में से किसी एक को एकमात्र पंच नियुक्त करने का / अधिकार होगा, तथा वे नियुक्ति की सूचना नियोक्ता को देंगे।

If the Employer fails to send to the Architect / Consultant the panel of three names as aforesaid within the period specified, the Architect / Consultants shall send to the Employer a panel of three names of persons who shall be unconnected with either party. The Employers shall on receipt of the names as aforesaid, select any of the persons and appoint him as the Sole Arbitrator. If the Employer fails to select the person and appoint him as the Arbitrator within 30 days of the receipt of the panel and inform the Architect / Consultant accordingly, the Architect / Consultants shall be entitled to appoint one of the persons from the panel as Sole Arbitrator and communicate his name to the Employer.

यदि नियुक्त किया गया मध्यस्थ किसी भी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो, नियुक्ति स्वीकार करने से मना कर दे, अथवा अपने पद से त्यागपत्र दे अथवा स्थान खाली कर दे, तो उसके स्थान पर अन्य एकमात्र पंच की नियुक्ति की जाएगी।यह मध्यस्थता प्रक्रिया "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996" के अनुसार संचालित होगी, जो समयसमय पर प्रभावी होती है। - मध्यस्थ का निर्णय पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।यह सहमति दी जाती है कि मध्यस्थता के लिए भेजे गए सभी विवादों के लिए पंच प्रत्येक विषयअलग निर्णय देगा तथा वह-विभिन्नता पर अलग/ युक्तियुक्त निर्णय होगा।यदि मध्यस्थ की फीस निर्णय पारित होने से पहले देय हो, तो दोनों पक्ष उसे बराबरबराबर हिस्से में- वहन करेंगे। मध्यस्थता की कुल लागत, जिसमें मध्यस्थ की फीस सम्मिलित है (यदि हो), विवाद के आधार पर मध्यस्थ के निर्णय अनुसार संबंधित पक्ष या पक्षों द्वारा वहन की जाएगी।नियोक्ता एवं आर्किटेक्टसलाहकार इस बात पर भी सहमत हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता का सहारा / लेना अनुबंध के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व अनिवार्य शर्त होगी, जब तक कि संबंधित विषय को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट न किया गया हो।

If the Arbitrator so appointed is unable or unwilling to act or refuses his appointment or vacates his office due to any reason whatsoever another Sole Arbitrator shall be appointed. The arbitration shall be governed by the Arbitration & Conciliation Ordinance 1996 as in force from time to time. The award of the Arbitrator shall be binding and final on the parties. It is hereby agreed that in all disputes referred to the Arbitration, the Arbitrators shall give a separate award in respect of each dispute or difference in accordance with the terms of reference and the award shall be reasoned award. The fees, if any of the Arbitrator shall, if required to be paid before the award is made and published, be paid in equal proportion by each of the parties. The cost of the arbitration including the fees if any, of the Arbitrator shall be borne and paid by such party or parties to the dispute in such manner or proportion as may be directed by the Arbitrator in the award. The Employer and the Architect / Consultants also hereby agree that the arbitration under this clause shall be a condition precedent to any right of action under the contract with regard to the matters hereby expressly agreed to be so referred to arbitration.

पंच, पंचगण अथवा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जो भी प्रासंगिक हो) **भारतीय वास्तुविद संस्थान या भारतीय अभियंता** संस्थान के अधिष्ठाता होंगे।पंचों अथवा मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय (जो भी लागू हो) **मध्यस्थता के पक्षकारों पर अंतिम** एवं बाध्यकारी होगा।

The Arbitrator or Arbitrators or Umpire, as the case may be, will be Fellows of the Indian Institute of Architect / Consultants or Fellow of Institute of Engineers (India). The award of the Arbitrator(s) or Umpires, as the case may be, shall be final and binding upon the parties to the Arbitration.

व्यावसायिक उत्तरदायित्व बीमा खंड -

Professional Liability Insurance Clause: -